सही है कि उनको जिस प्रकार का काम करना होता है, उसके अनुसार यह आवश्यक है कि उनके लिए आवास की सुविधा कहीं अस्पतालों के आसपास ही हो। शहरी विकास मंत्रालय से स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में यह मामला उठाया है और कोशिश कर रहे हैं कि जनरल-पूल से कुछ मकान, कम से कम जो बड़े अस्पताल हैं उनके लिए, कुछ एडीशनल मकान दे दिए जायें, जो नर्सों के लिए इस्तेमाल किए जायें। इसके अलावा जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार आज जो एक होस्टल है, जिसमें गैर-शादीशुदा नर्सों के रहने की व्यवस्था है, वहां पर 60 से 70 तक नर्सें, जो शादीशुदा हैं, उनको आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी उसी में तरमीम करके और 400-500 आवास इकाइयां, नर्सों की एक कालोनी बनाने का भी उसी एग्रीमेंट में प्रावधान है और उसके लिए इस साल एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और दिल्ली प्रशासन से उसके लिए जमीन देने के लिए आवेदन किया गया है।

श्री सभापति : इनका एक प्रश्न और था कि जो और अस्पताल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, वहां भी यह फेसिलिटीज देंगे, जो एग्रीमेंट में हैं, दिल्ली के बाहर भी।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : जी हां, जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हैं, वहां पर इस समझौते को लागू किया जाएगा।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I want to know from the hon. Minister whether he is aware that like a memorandum of settlement signed with the nurses, other memorandums of settlement have also been signed with other categories of hospital workers like doctors. May I know whether the Minister is aware the Government has not been implementing the terms of those memorandum of settlement. Sir, a result of that there is an imminent threat of strike in Delhi hospitals which will result in a grave injustice to the citizens of Delhi. May I know from the Minister whether the Government is now committed to change their past practices and whatever has been agreed in writing will be implemented? What is the policy of the Government to defuse the crisis of the strike? By writing another memorandum of settlement? Or when they write a memorandum of settlement, they mean to implement what they are writing in that settlement?

श्री सभापति : यह प्रश्न नर्सेज का है। मंत्री जी, आप इस पर कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, नर्सों की यूनियन से हुए समझौते से संबंधित यह प्रश्न है, लेकिन अगर अस्पतालों में काम करने वाले चाहे वह डाक्टर हों या किसी दूसरी श्रेणी के कर्मचारी हों, अगर उनके साथ सरकार का समझौता हुआ हो तो, पहले कोई उल्लंघन किया हो उसकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई समझौते हुए हैं तो अब हम उन समझौतों का कोई उल्लंघन नहीं होने देंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसको लागू किया जाएगा।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I want an assurance from the Minister.

श्री सभापति : जैन साहब, इससे उठता नहीं है, लेकिन फिर भी मंत्री जी ने इतना एसोरेन्स दे दिया है, काफी है।

*164. (The questioner (Shri Shiv Pratap Mishra) was absent. For answer, vide col. ..infra).

सिल्वासा के लिये पूंजी निवेश संबंधी केन्द्रीय राजसहायता

*†165. **डा० बापू कालदाते :**
श्री कमल मोरारका :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 सितम्बर, 1988 के पश्चात् सिल्वासा के लिये पूंजी निवेश

†सभा में यह प्रश्न वस्तुतः डा० बापू कालदाते द्वारा पूछा गया।

संबंधी केन्द्रीय राजसहायता बन्द कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि 30 सितम्बर, 1988 से पहले स्थापित परियोजनाओं के लिये भुगतान हेतु लगभग 85 आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़े हैं ;

(घ) यदि हां, तो उक्त भुगतान में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं,

(ङ) क्या स्थापित की जा रही परियोजनाओं के लिये, जो 30 सितम्बर, 1988 के पश्चात पूरी की गयी, 150 और आवेदन-पत्र सिल्वासा में स्थानीय प्राधिकारियों के पास लंबित पड़े हैं ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार विशेष रूप से सिल्वासा के लिये पूंजी निवेश संबंधी केन्द्रीय राजसहायता के संबंध में समग्र दृष्टिकोण अपनायेगी क्योंकि वहां राज्य का कोई वित्तीय निगम कार्य नहीं कर रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (च) केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना 1-10-1988 से समाप्त कर दी गई थी । तथापि, केन्द्र सरकार ने (अपने दिनांक 21-7-1989 के पत्र द्वारा) राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को गैर-विनिर्माणकारी कार्यकलापों के लिये 30 सितम्बर 1989 तक और विनिर्माण-कार्यकलापों के लिये 31 दिसम्बर 1989 तक राजसहायता का वितरण करने की सलाह दी गई थी बशर्ते कि ये परि-योजनायें राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा 30-9-1988 को अथवा उससे पहले अर्थात केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना की वैधता अवधि के भीतर मंजूर की गई हो ।

दादर और नगर हवेली प्रशासन ने 77 एककों के संबंध में 7.67 करोड़ रु. के दावे प्रस्तुत किये थे । चूंकि उपर्युक्त सभी माल मामलों में राज्य स्तरीय समिति द्वारा 30-9-1988 के पश्चात् राजसहायता की मंजूरी दी गई थी, अतः संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को यह राशि नहीं दी गई थी ।

संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के अनुसार 18-9-89 की स्थिति के अनु-सार 126 मामले लंबित थे जिनमें 12.36 करोड़ रु. लगभग की राज सहायता निहित थी जिनका 30-9-1988 से पहले पंजीकरण किया गया था । राज्य स्तरीय समिति द्वारा 30-9-1988 से पहले 48 एककों के दावों पर विचार नहीं किया जा सका था और 78 एककों को अभी अपने दावे पेश करने बाकी थे । ये 126 एकक राजसहायता पाने के पात्र भी नहीं हैं ।

डा० बापू कालदाते : सभापति जी, एक तो प्रश्न का जवाब अधूरा मिला है क्योंकि पहले जो दो सवाल हमने पूछे थे, इसमें यह पूछा गया था कि क्या 1-10-80 से केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना समाप्त कर दी गई थी और आगे पूछा था कि उसका कारण क्या हैं ? तो मैं आपसे पहला सवाल तो यही पूछना चाहूंगा कि यह समाप्त करने का कारण क्या है ?

श्री अजीत सिंह : जो सबसिडि दी गई थी, सरकार और तरह की बहुत सी सुविधायें दे रही है इंडस्ट्री को और सरकार ने सोचा कि इस सुविधा को बन्द करना इस समय उचित होगा ।

डा० बापू कालदाते : मेरा सीधा सवाल है कि क्यों सोचा ?

श्री अजीत सिंह : सरकार के विचारों के अनुसार इस समय यह सुविधा बन्द करने का तय किया गया ।.. **(व्यवधान)**

डा० बापू कालदाते : सभापति जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह हैं कि यह जो राज सहायता योजना है, यह 1–10–88 को बन्द हो गई । अब इनका कहना यह है कि राज सहायता, वहां के जो कोई संघ शासित क्षत्र हों, वहां अगर यह रिकमेंड करे, उसी समय के पहले तो उसको यह मान्यता देंगे । अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बताता हूं:–"संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के अनुसार 18–9–89 की स्थिति के अनुसार 126 मामले लंबित थे जिनमें 12.35 करोड़ रु० लगभग की राज सहायता निहित थी जिनका 30–9–1988 से पहले पंजीकरण किया गया था" इसका मतलब है कि उनका पंजीकरण हो गया । अब वह जो संघ शासित प्रशासन है, वह अगर आपके पास जानकारी नहीं भेजता है या उसको मंजूरी नहीं देता है, तो जिन्होंने आपके इस आधार के कारण कि उनको भी सहूलियतें मिलने वाली है, सबसिडि मिलने वाली है, जिन्होंने कारखाने लगाये वह क्यों जिम्मेवार हैं ?

शायद हो सकता है कि संघ प्रशासन के लोगों ने उसमें कई गड़बड़ियां की होंगी । उनकी गड़बड़ियों के कारण जिन्होंने कारखाने लगाये हैं, उनका शोषण करना हम उचित नहीं मानते हैं । इसके लिये हमारा सवाल है कि आप अगर कट आउट डेट यह तय करते कि इस तिथि के पहले जिनके कारखाने लग गये हैं, उनको सबसिडि की रकम मिलनी चाहिये । यह रकम देने के संबंध में भले प्रशासन वाल देर करें मगर हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि उनको सहायता मिलनी चाहिये । इसके बारे में सरकार की क्या राय है ?

श्री अजीत सिंह : यह जो सुविधा इसमें दी गई थी, इसकी दो कंडीशन्स थीं कि एक तो 1988 तक जिनको स्टेट कमेटी या डिस्ट्रिक्ट कमेटी एप्रूव करेगी उनको कंसिडर किया जायेगा । दूसरी कंडीशन थी कि यह पैसा दिसम्बर, 1989 तक दे देना था । अब जहां तक यह 126 का सवाल कर रहे हैं तो उनमें से 48 को तो एस०एल०सी० ने अभी कंसिडर नहीं किया, उस तारीख तक और बाकी जो 78 हैं, उनके तो उसमें क्लेम भी नहीं बनते हैं । इन 48 को बाद में कंसिडर करके उन्होंने क्लेम भेजा है । लेकिन जो दो कंडिशन्स थी, उन दोनों कंडिशन्स में यह 126 केसिज़ नहीं आते ।

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, since the hon. Minister is verey dynamic person. he will understand the implications of this. After all, if the Government have given certain facilities and the small and medium entrepreneurs put up units based on those facilities, why should they be penalised if the State Level Committee delays in clearing the applications? Of course, I agree that out of 203 units, 78 did not even apply for the concession. In the case of the small entrepreneurs, if they had not applied in time, you can charge them 10 per cent or 15 per cent penalty. But in the case of the remaining 77 and 48 units, they set up the units in time and they applied in time. Merely because the State Level Committee had not cleared their applications, why should they be penalised? If the notification was faulty, I would request the Minister to issue a fresh notification, properly worded. Obviously, that notification was issued by the previous Government. So you can discontinue the facility for the future. I have nothing to say on that. But whatever facility was given on the basis of which these units have come up, that should not be stopped and if the notification is faulty, it is definitely inequitous. If the notification says that money is also disbursed—they have said if money is disbursed before December, 1989—we all know that it is not easy to get Government refund and a small entrepreneur can never get the money in time. Kindly look into it. I would like an assurance from the Minister that before 30th September 1988 whatever units have been put up, no injustice will be done to them. That is the only point.

श्री अजीत सिंह : महोदय, जिस तरह से यह स्कीम डिस-कंटीन्यू की गई थी, उसमें 210 करोड़ रुपया अभी भी रि-इम्बर्स सरकार को करना है और इस तरह के बहुत से केसेज हैं। हर सरकार ने, हर प्रदेश की सरकार ने अलग-अलग अपने कारण बताये हैं और अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो यह तय करना मुश्किल हो जायेगा कि किस कम्पनी को मिलना चाहिये, किसको नहीं मिलना चाहिये। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि नोटिफिकेशन फाल्टी है इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है और न ही नोटिफिकेशन पढ़ने से लगता है कि यह नोटिफिकेशन क्लियर नहीं था। यह जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट की है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की है कि उसके पहले उन्होंने मिलकर क्यों नहीं भेजा क्योंकि बहुत से केसेज सरकार ने ऐसे भेजे हैं कि हमको मालूम नहीं था, हमने अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो यह समस्या बहुत बढ़ जायेगी।

श्री कमल मोरारका : मंत्री जी यह तो यूनियन टैरिटरी है।

MR. CHAIRMAN: Shri David Ledger.

SHRI DAVID LEDGER: Sir, we understand that Central Investment Subsidy Scheme was introduced for the special category States, that is the States which are industrially backward, for example, the he North-Eastern States. As a result of sudden discontinuation of this scheme by the previous Government in October, 1988, the local entrepreneurs who had come forward with projects had to arrange finance from various financial institutions and were halfway through the projects and they are now facing great hardships. The financial institutions are refusing finance in view of the Government's decision to discontinue the subsidy. Whatever money the entrepreneurs had, has been invested. They are now in dire straits. Will the hon. Minister kindly tell us as to whether the Government will consider reintroduction of the Central Investment Subsidy Scheme for the special category States, that is the States which are industrially the most backward so that the much required incentive can be provided to the local entrepreneurs? Will he kindly look into this?

SHRI AJIT SINGH: The Scheme was not set up for the industrially backward States, but it was set up for industrially backward districts and the Government is going to put this scheme again for small-scale industries in rural and backward areas. So, in the North-Eastern States whatever the backward districts are, they will get the benefit of the new scheme for small-scale industries.

MR. CHAIRMAN: Shri Swell.

SHRI G. G. SWELL: Sir, in the special category States that is, those in the North-East, it is not only the manufacturing industries, the small-scale industries but there are other kinds of industries also which have strictly not been manufacturing, say piggery farms or poultry farms. These are the various ways by which the economy of the North-East can be promoted. Now I understand that Government has discontinued giving the subsidy to what they call the non-manufacturing industries or the service industries. In view of the special economic conditions in the North-East and the policy-statement of the Government that all the States there will be considered as special category States, will the Minister consider reviving subsidy even to those non-manufacturing industries like piggery farms, poultry farms and others?

SHRI AJIT SINGH: The Government is going to introduce this Central Investment Subsidy Scheme for backward districts, for small-scale industires. The exact scope of what comes under the small-scale industries has not been determined yet.

MR. CHAIRMAN: Dr. Vijaya Mohan Reddy.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Sir, the development should be uniform, especially the industrial development. If it is not uniform, it will create problems... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Put your question quickly.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY; In my district, people were enjoying the privilege of having this subsidy...(*Interruptions*)... I request that the backward districts be covered by the Investment Subsidy Scheme. Will the hon. Minister assure us on this point?

SHRI AJIT SINGH; If the backward districts come under the new scheme, it will definitely cover those districts.

MR. CHAIRMAN; Yes, Mr. Shah

SHRI VIREN J. SHAH; Sir, the honourable Minister has talked about district-level committees. I would like to know about Silvasa..(*interruptions*)..

MR. CHAIRMAN; Question Hour is over. Now, Papers to be laid on the Table.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Infant motality rate

*164. *SHRI SHIV PRATAP MISHRA:* Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that approximately 290 infants below one year of age die every day and one lakh every year in West Bengal;

(b) what are the estimated figures in this behalf for the whole country; and

(c) what steps Government are taking for effective implementation of immunisation programmes to reduce the infant mortality rate in the country?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHAMMED KHAN): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

On the basis of data gathered through Sample Registration Syetem of Registrar General of India, the infant mortality rate for West Bengal in 1988 is estimated to be 70 per thousand live births while for the country as whole it is 94 per thousand live births. This implies that there are 1.15 lakh infant deaths annually (or 315 per day) in West Bengal while for the country as a whole, the estimated number of infant deaths is nearly 21.46 lakh every year (or about 5900 per day).

There are several causes of infant mortality which include prematurity, low birth weight, birth injuries and birth asphyxia, respiratory infections and congenital malformations, dehydration due to diarrhoea, malnutrition and vaccine preventable diseases. Government have taken several measures to ensure effective implementation of immunization programme, including antenatal, natal and post-natal care through a net-work of health sub-centres, Primary Health Centres, community health centres and other health institutions located in rural and urban areas. It has been particularly ensured there is adequate supply of vaccines and cold chain equipment including needles and syringes, sterlisation equipment and refrigerators. Training of health staff regular field monitoring and surveillance and involvement of voluntary non-Government Organisations has received particular attention.

कारखानों तथा विद्युत उत्पादक प्रतिष्ठानों को निर्धारित मात्रा में कोयले की पूर्ति

*166. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न कारखानों और विद्युत उत्पादक प्रतिष्ठानों को निश्चित अवधि के दौरान निर्धारित मात्रा में कोयले की पूर्ति की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात की कपड़ा मिलों तथा विद्युत उत्पादक प्रतिष्ठानों को गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, कितनी मात्रा में कोयले की पूर्ति की गई ;